निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 पौष 1935 (श0)
(सं0 पटना 24) पटना, वृहस्पतिवार, 2 जनवरी 2014

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना
17 दिसम्बर 2013

सं0 22/नि0सि0(भाग0)–09–05/2007/1550––श्री विजय कुमार, (आई0 डी0 –3962) तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, सिकन्दरा द्वारा उनके उक्त पदस्थापन अवधि वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 के दौरान बरती गयी अनियमितताओं के लिए विभागीय उड़नदस्ता के पत्रांक 21 दिनांक 16.5.07 द्वारा प्रतिवेदित जॉच प्रतिवेदन के आधार पर निम्नांकित आरोपों के लिए विहित प्रपत्र में आरोप प्रपत्र–''क'' गठित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 343 दिनांक 23.2.10 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत उनके विरूद्व विभागीय कार्यवाही संचालित किया गयाः–

i. सिंचाई प्रमण्डल, सिकन्दरा के अन्तर्गत अपर किउल मुख्य नहर के दाये तटबंध पर चेन सं0–280 से 390 के बीच निर्मित डब्लू0 बी0 एम0 रोड निर्माण का कार्य जिसका प्राक्कलन मुख्य अभियन्ता, भागलपुर द्वारा कुल 17. 09950 लाख रूपये का दिनांक 18.12.03 को स्वीकृत किया गया था एवं जिसका एकरारनामा सं0–3/एफ2/2003–04 दिनांक 21.12.03 है, आपके द्वारा विशिष्टि के अनुरूप नहीं कराया गया है। सड़क में प्रयुक्त स्टोन मेटल ग्रेड–i ओभर साईज का पाया गया तथा ग्रेड–ii एवं ग्रेड–iii में मेटेल कम मात्रा में पाया गया। उक्त कार्य में बाईंडिंग मेटेरियल के रूप में मुरम की मात्रा प्रावधानित मात्रा से ज्यादा पाया गया है और कम्पैक्शन पर्याप्त नहीं किया गया है जिसके कारण कई स्थानों पर सड़क का क्रेस्ट क्षतिग्रस्त हो गया। ग्रेडेड मेटल की भी मोटाई 1'' से 1.5'' तक कम पायी गयी। उक्त अनियमितताओं के लिए ये प्रथम द्रष्टया दोषी प्रतीत होते है।

ii . अपर किउल मुख्य नहर के चेन सं0–390 से 460 के बीच डब्लू0 बी0 एम0 सड़क के क्रेस्ट की थिकनेस एवं चौड़ाई का रैन्डम जॉच करने पर चेन सं0–410 एवं 432 पर सड़क की मोटाई में 1'' से 2'' की कमी पायी गयी है और चेन सं0–432 पर ग्रेड– i एवं ग्रेड– ii मेटल का ही व्यवहार किया गया पाया गया तथा सड़क के टॅाप में ग्रेड–iii का अभाव पाया गया। उक्त अनियमितताओं के लिये ये प्रथम द्रष्टया दोषी प्रतीत होते है।

iii . अपर किउल मुख्य नहर के चेन सं0–280 से 460 के बीच नहर सुदृढ़ीकरण कार्य के अन्तर्गत किए गये अवशेष मिट्टी कार्य जिसका एकरारनामा सं0–27 एफ–2/2003–04 एवं एकरारित राशि 23,32,590/– रूपये मात्र है, में मिट्टी कार्य कराने का कोई प्रमाण स्थल पर नहीं पाया गया अर्थात कार्य नहीं कराने अथवा स्वीकृत मात्रा से बहुत कम कार्य कराया जाना प्रमाणित पाया गया है जिसके लिए ये प्रथम द्रष्टया दोषी है।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 1020 दिनांक 21.6.11 द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर किया गया एवं सम्यक समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन में कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों की गुणवत्ता सही पाये जाने एवं सड़क की मोटाई में 1'' से 2'' की कमी को मान्य सीमा के अन्दर बताते हुए उक्त आरोपों को आरोपित पदाधिकारी श्री विजय कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता के विरूद्व अधिरोपित नहीं होने की बात कही गयी है।

3. फलस्वरूप संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा एवं निष्कर्ष से सहमत होते हुए श्री विजय कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता को आरोप मुक्त करने का निर्णय सरकार के स्तर पर लिया गया है।

उक्त निर्णय श्री विजय कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
श्याम कुमार सिंह,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 24-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in